14/3/17 - वादीगण पक्षकार उप०। बहस समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दि० 27/3/17 को पेश हो।

27/3/17 - वादीगण पक्षकार उप०। बहस समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दि० 10/4/17 को पेश हो।

10/4/17 - वादीगण पक्षकार उप० व वादीगण [illegible] दस्तावेज सूची जिसमें 2 पेपर की, जो शामिल मिसिल की गयी। बहस समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दि० 3/5/17 को पेश हो।

27/5/17 - आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच कोर्ट [illegible] पर पेश हुई। वादीगण पक्षकार एवं वादीगण पक्षकार ने बहस करना चाहिए किया। वादीगण पक्षकार की बहस को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण पक्षकार ने अपनी बहस में वाद को मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। बाद बहस वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है जिसके निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल हो। पक्षी डिक्री जारी हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अभियान "न्याय आपके द्वार" शिविर–2017
अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मोखमपुरा, तहसील मौजमाबाद।
शिविर प्रभारी अधिकारी– श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस

राजस्व वाद–पत्र संख्या 92/2016
वाद–पत्र दायरी दिनांक : 10/06/2016
निर्णय दिनांक : 29/05/2017

1. छीतर दत्तक पुत्र श्योजीराम, जाति गुर्जर, निवासी सोरठो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0 (फौत)
   1/1 बदाम पत्नी स्व0 छीतर, जाति गुर्जर, निवासी सोरठो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0
   1/2 देवकरण पुत्र स्व0 छीतर, जाति गुर्जर, निवासी सोरठो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0
   1/3 गीतादेवी पुत्री स्व0 छीतर पत्नी हरिराम, जाति गुर्जर, निवासी सोरठो का बास, तहसील मौजमाबाद, हाल निवासी गुर्जरों की ढाणी, लापोडिया, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0
   1/4 गिरिराज पुत्र स्व0 छीतर, जाति गुर्जर, निवासी सोरठो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0
   1/5 हेमराज पुत्र स्व0 छीतर, जाति गुर्जर, निवासी सोरठो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0
   1/6 सोनीदेवी पुत्री स्व0 छीतर पत्नी भागचन्द, जाति गुर्जर, निवासी सोरठो का बास, तहसील मौजमाबाद, हाल निवासी रहलाना, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0
   1/7 बाबूलाल पुत्र स्व0 छीतर, जाति गुर्जर, निवासी सोरठो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0

-- वादीगण

बनाम

1. घीसाराम पुत्र श्री बन्नाराम, जाति गुर्जर, निवासी सोरठो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. कल्याण पुत्र श्री बन्नाराम, जाति गुर्जर, निवासी सोरठो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
3. राजू पुत्र श्री बन्नाराम, जाति गुर्जर, निवासी सोरठो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
4. रामकरण पुत्र उमा, जाति गुर्जर, निवासी सोरठो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
5. रामलाल पुत्र श्री उमा, जाति गुर्जर, निवासी सोरठो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
6. गणेश पुत्र उमा, जाति गुर्जर, निवासी सोरठो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
7. तहसीलदार/सबरजिस्ट्रार, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

-- प्रतिवादीगण

-- वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा --

Scanned by CamScanner

उपस्थिति – श्री मगनलाल शर्मा
विद्वान अधिवक्ता वादी

श्री निरंजन कुमार पारीक
प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6

प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 29/01/17

– निर्णय –

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण स्व0 उमा के वारिसान है तथा वाके ग्राम सोरठो का बास तहसील मौजमाबाद के स्थायी निवासी है वादी जो कि स्व0 सुरजकरण का पुत्र है लेकिन श्योजीराम ने अपने जीवनकाल मे ही वादी को गोद ले लिया था तथा स्वर्गीय श्योजीराम एवं श्रीमति स्याणी देवी का कियाकर्म आदि वादी के द्वारा ही सम्पादित किये गये है तथा स्व0 श्योजीराम के पुत्र एवं पुत्री नही होने से शुरू से ही वादी को अपने पास रखा तथा दत्तक पुत्र स्वीकार किया गया। स्वर्गीय श्योजी के वर्तमान मे राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज है जो निम्न है खसरा नम्बर 124 रकबा 0.83 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 188/127 रकबा 0.31 हैक्टेयर, श्योजी का 1/2 हिस्सा दर्ज है। **परिशिष्ठ बी** खसरा नम्बर 5 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 42 रकबा 1.1700 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.21 हैक्टेयर मे हिस्सा 1/6 है। व **परिशिष्ठ सी** खसरा नम्बर 10 रकबा 0.0500 हैक्टेयर मे स्याणी देवी का 1/6 हिस्सा दर्ज है, परिशिष्ट डी खसरा नम्बर 54 रकबा 0.4700 हैक्टैयर मे स्याणी देवी का 1/6 हिस्सा दर्ज है। परिशिष्ठ ई खसरा नम्बर 38 रकबा 2.4400 हैक्टयर हिस्सा स्याणी देवी 2/6 हिस्सा है, जो वाके ग्राम भैराणा तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित हैं। स्वर्गीय श्योजीराम के जीवनकाल से ही वादी काश्त कर रहा है तथा वर्तमान मे भी वादी ही काश्त करता आ रहा है जिससे प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नही है। अभी कुछ समय से व दिनांक 04/06/2016 को प्रतिवादीगण एकराय होकर ऐलानिया धमकी देना शुरू कर दिया कि उक्त आराजीयात पर कब्जा करेंगे तथा विरासत का नामांतकरण खुलवाकर बेदखल करेंगे जिसे वादी एवं ग्राम के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा काफी समझाइश की गई लेकिन प्रतिवादीगण अपने द्वारा दी गई धमकी पर कायम नही रहे जिससे वाद घोषणात्मक विरूद्व प्रतिवादीगण पेश किया गया।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री इस अमर फरमायी जावें

Scanned by CamScanner

कि परिशिष्ठ ए से ई मे मृतक स्याणी देवी के नाम आराजीयात है उसका खातेदार वादी को घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावें कि वादी के कब्जे काश्त में दखलबाजी न स्वंय करें अन्य से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 13/6/2016 को पत्रावली राजस्व कैम्प अदालत मौखमपुरा में पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया, जो बाद जांच राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की।

दिनांक 27/10/2016 को वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा0 दी0 पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 05/11/2016 को वकील वादी द्वारा दस्तावेज सूची किता–1 मृत्यु प्रमाण–पत्र छाया प्रति पेश की गयीं जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 03/01/2017 को वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 3 जा0 दी0 पर अनापत्ति किये जाने पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया। वकील वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी संख्या 1/1 लगायत 1/7 उपस्थित हुये, जिनकी पहचान श्री मगनलाल शर्मा एडवोकेट द्वारा की गयी। वकील वादी ने साक्ष्य गवाहान पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादीगण ओर साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान ने अपनी बहस में मुताबिक राजीनामा दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात सत्य प्रति जमाबन्दी सम्वत 2070–2073, मृत्यु प्रमाण–पत्र, पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं साक्ष्य गवाहान का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि वादी ने जो सजरा प्रस्तुत किया है, उसके अनुसार पक्षकारान स्व0 उमा के वारिसान होकर एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होना साबित होता है, वादी जो कि स्व0 सुरजकरण का जायन्दा पुत्र है एवं श्योजीराम के कोई पुत्र नही होने से वादी छीतर का उसके गोद जाना अंकित किया गया है तथा श्योजीराम व स्याणीदेवी के समस्त क्रिया कर्म वादी द्वारा ही सम्पादित किये गये है तथा अब श्योजीराम व उसकी पत्नी स्याणी के नाम से अंकित आराजीयात की

Scanned by CamScanner

खातेदारी घोषणा चाही हैं, प्रतिवादीगण जो स्व0 उमा के अन्य वारिसान हैं, जिन्होनें राजीनामा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किया है एवं स्व0 श्योजीराम व स्याणी के नाम दर्ज आराजीयात का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने बाबत सहमति दी हैं तथा वर्तमान में मौके पर कब्जा काश्त भी वादी का ही होना दर्शित किया है, जो वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गवाहान एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से बखूबी साबित हैं, इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन उपरान्त वादी अपने वाद–पत्र को साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है, जिससे वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 124 रकबा 0.83 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 188/127 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 42 रकबा 1.1700 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 10 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 54 रकबा 0.4700 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 2.4400 हैक्टयर वाके ग्राम सोरठों का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्व0 स्याणीदेवी के नाम दर्ज आराजी का वादी संख्या 1/1 लगायत 1/7 को बहिस्सा बराबर–बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21/01/2017 को मजमे आम ग्राम पंचायत मोखमपुरा में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31.. ..2

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक दूदू, जिला जयपुर

मुकाम श्री [illegible] पुत्र [illegible] मीणा, [illegible]

[illegible] पुत्र रामप्रसाद बनाम भोमाराम पुत्र श्री [illegible] जाति गुर्जर नि०

[illegible] दावा बाबत बंटवारा व [illegible] का वाके व अन्य

मुकदमा नं. 92/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री मगनलाल शर्मा [illegible]

[illegible] मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री निरंजन कुमार पारीक [illegible]

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर [illegible] वाली आराजी ख.नं. [illegible] रकबा 0.83 हे०, ख. नं. 125 रकबा 0.28 हे०, 188/127 रकबा 0.31 हे०, ख.नं. 5 रकबा 0.0100 हे०, ख. नं. 6 रकबा 0.0300 हे०, ख.नं. 42 रकबा 1.1700 हे० कुल किता 03 कुल रकबा 1.21 हे०, ख.नं. 10 रकबा [illegible]500 हे० ख.नं. 54 रकबा 0.4700 हे० ख. नं. 38 रकबा 2.4400 हे०, [illegible] का वाके तह० मौजमाबाद, जिला जयपुर में [illegible] आराजी का [illegible] 1/7 का हिस्सा बराबर-बराबर का [illegible] किया जाता है। 20/9/2017

... का अदा करेगा ...

आज दस्तखत मेरे व मुहर अदालत के आज तारीख ... माह ... सन् ... को

दी गई।

दस्तखत सहायक कलक्टर

ओहदा (फास्ट ट्रेक) दूदू

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			गुतफरिक		
गुतफरिक					
मीज़ान			मीज़ान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner